



Neutral Citation No- 2026:AHC:16842

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 836/2026

अमर नाथ यादव एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिरुद्ध पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमरा को सुना।
2. वर्तमान याचिका में प्रार्थना दिनांक 13.03.2025 की चयन सूची और दिनांक 30.10.2024 की आधिकारिक उत्तर कुंजी को रद्द करने के लिए है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि पहले से ही चयन आयोजित किए जा चुके हैं, उम्मीदवार शामिल हो गए हैं और सकारात्मक आदेश पारित होने की स्थिति में प्रभावित होने वाले दलों में से कोई भी प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।



4. इस तरह के एक निवेदन के लिए, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सवाल उठाने को उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

5. तदनुसार, रिट याचिका को रिट याचिकाकर्ता को उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

22 जनवरी, 2026

राजेश